

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प.6(2)प्रसु-3/1983 पार्ट

जयपुर दिनांक : 18/10/2021

—: आदेश :-

विषय :- जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति का गठन।


संदर्भ :- इस विभाग के आदेश दिनांक 20.10.1983

राज्यपाल राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले हेतु जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के गठन का आदेश दिनांक 20.10.1983 को जारी किया गया था।

उक्त समिति के सदस्य सं० 3 में जिले के समस्त संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य को गठन में रखा गया है।

इस संबंध में संसद सदस्य की प्रविष्टि को विलोपित किया जाता है, शेष सदस्य एवं शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(निरंजन आर्य)

मुख्य सचिव